पिछड़ों के उद्धारक शाहूजी महाराज

लेखक : डॉ.डी.के. वर्मा

सत्यमेव जयते

उद्देशिका

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

छत्रपति शाहूजी महाराज का पैतृक निवास कोल्हापुर (सम्प्रति संग्रहालय)

पिछड़ों के उद्धारक शाहूजी महाराज

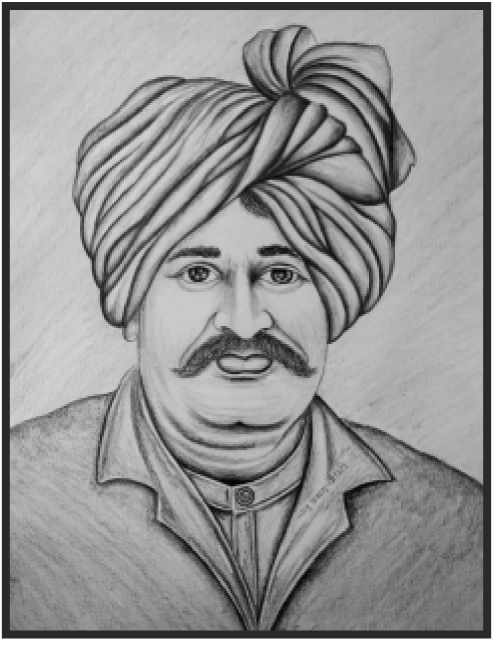

लेखक

डॉ.डी.के. वर्मा

पिछड़ों के उद्धारक रूशाहूजी महाराज

सम्पादक : डॉ.डी.के. वर्मा
ISBN No. :
प्रथम संस्करण : मई 2025
प्रतियाँ : 3000
सहयोग राशि : 20/-
प्रकाशक : ©ज्ञानप्रकाश जखमी
शब्दांकन : सन्दीप सुल्तानपुरी
मुद्रक : 539क/100क/240, देवपुरी भवन, संजय गांधीपुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226016

नोट :- बहुजन समाज के प्रति अभिरूचि व जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से-**'पिछड़ों के उद्धारक रूशाहूजी महाराज'** हर घर प्रचार-प्रसार का उपयोग किया गया है, ताकि पाठक को पढ़ने व समझने में आसानी हो। पुस्तक प्रकाशित करते समय पूर्ण सावधानी बरती गई है किसी त्रुटि से पाठकगण को होने वाली क्षति के लिए प्रकाशक, सम्पादक, सम्पादक मण्डल एवं विक्रेता जिम्मेदार नहीं है। सभी विवादों की स्थिति में न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

प्रकाशन
बुद्ध अम्बेडकर कल्याण एसोसिएशन उ.प्र. (रजि.)
356/340/835, राजगार्डेन कालोनी, आलमनगर, लखनऊ-226017
मो. 8181819657, E-mail : baks.gpjakhmi@gmail.com, www.bbtoday.in

प्रस्तावना

हमारे देश के धार्मिक कानून जो सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है हमारी व्यवस्था की आन बान शान और पहचान है इसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते और मानते हैं के अनुसार समाज में चार वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अपने वर्ण के अनुसार इन सभी का कार्य निर्धारित किया गया था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण सबसे ऊंचे पायदान पर आसीन थे। पठन पाठन, यज्ञ पुरोहित का कार्य करना और करवाना इनका कार्य निर्धारित किया गया था। परंपरागत रूप से यह संवर्ग ही राजा का सलाहकार भी होता था। क्षत्रिय दूसरे पायदान पर आते हैं। इस वर्ण का कार्य था पढ़ना, शस्त्र धारण करना, शस्त्र विद्या सीखना और देश की रक्षा करना यह शस्त्रोपजीवी वर्ग था। तीसरे नंबर पर वैश्य संवर्ग था जिसका कार्य था पढ़ना और वाणिज्य व्यापार करना। इसके बाद जो चौथा वर्ण हुआ करता था उसे शूद्र कहा जाता था उसका कार्य था ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करना। उसे कानूनन पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यही कानून हिंदू सभ्यता की पहिचान आज भी है। इस वर्ण व्यवस्था की स्थापना और रक्षा ही हिंदू राजाओं का पहला कर्तव्य हुआ करता था। यही कारण है कि आज भी हमारे देश के गांवों में ओबीसी जातियां खेती, पशुपालन, मछलीपालन और कृषि से अनुषंगी कार्यों में लगी हुई है। उनमें शिक्षा का स्तर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। शूद्रों का दूसरा वर्ग आज की तारीख में एससी एसटी के नाम से जाना जाता है यह अस्पृश्य वर्ग है। किसी का इससे छू जाना भी हमारे धर्म ग्रंथों

में पाप माना गया है। जब इसके छू जाने से पाप हो जाता है तो क्या पढ़ना और क्या पढ़ाना अर्थात यह संवर्ग सदियों से पठन पाठन से कानून बनाकर वंचित कर दिए गए थे। सदियों तक चली इस वंचना के चलते यह वर्ग पठन पाठन से अलग हो गया और पिछड़ेपन तथा सामाजिक सांस्कृतिक गरीबी का शिकार हो गया। इस वर्ग की संख्या सबसे अधिक थी। आज भी इस वर्ग की संख्या सभी गांवों में कुल जनसंख्या का 85 प्रतिशत है। आज भी सभी गांवों में कुल आबादी का 65 प्रतिशत ओबीसी समाज है और 20 प्रतिशत एससीएसटी समाज है। इस सामाजिक वंचना को हमारे पुरखों ने देखा और अंग्रेज शासकों से अनुरोध कर यह कानून बनवाया कि देश की संपत्ति मे इन वर्गों को हिस्सा दिया जाय। इस दिशा में पहला कार्य यह हो सकता था कि आबादी के अनुपात में इन्हें राजकीय सेवाओं में आरक्षण दिया जाय। इसकी शुरुआत वर्ष 1902 में शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर से कर भी दी थी कानून बनाकर। उनका बनाया हुआ यह कानून इतना प्रभावशाली था कि कमोबेश आज भी लागू है। शाहू जी महाराज महाराज के द्वारा यह कानून कैसे बनाया गया उन्हें किन विरोधों का सामना करना पड़ा किन्होंने उनके इस कानून का विरोध किया और कैसे उन्होंने विजय पाई अपने विरोधियों पर इसी की कहानी है प्रस्तुत पुस्तिका में।

आशा है पुस्तिका से देश के बहुसंख्यक वर्ग को देश की मुख्यधारा की राजनीति और धर्म को समझने में सहायता मिलेगी।

ज्ञान प्रकाश जख्मी

विषय-वस्तु

1. आरक्षण ही नहीं मानवता के संस्थापक
2. बाबा साहब के राजनैतिक गुरु
3. हर गांव देहात में पाठशाला की स्थापना
4. अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा
5. छात्रावास व्यवस्था के जनक
6. अस्पृश्यों की हाजिरी प्रथा की समाप्ति : गुलामी से आजादी
7. परीक्षा प्रणाली से तलाठी (पटवारी) की नियुक्त।
8. समाज सुधार : अस्पृश्यता पर कानून बनाकर रोक
9. उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत
10. जन्म एवम बचपन
11. उच्च पदों पर पिछड़ों की नियुक्ति
12. तिलक से संघर्ष
13. तत्कालीन मीडिया का प्रबल विरोध
14. पुरोहितों ने भी विरोध किया
15. सरनेम का उपहार
16. विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून
17. वर्तमान परिदृश्य रूबिना पढ़े सब पास

1. आरक्षण ही नहीं मानवता के संस्थापक

राजकीय सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण

बहुजनों को राजकीय सेवा में सीधे 50 प्रतिशत पदों पर आरक्षण देना देश के इतिहास में सबसे क्रांति कारी कदम था जिसने आने वाले समाज की दिशा और दशा बदल दी। आज समाज के कमजोर वर्गों को राजकीय सेवाओं में जो भी आरक्षण की सुविधा मिल रही है। उसकी शुरुआत ही शाहूजी महाराज के आदेश से हुई थी। संपूर्ण विश्‍व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बिना किसी संघर्ष के ही किसी शासक ने अपने अधिकारियों में बहुजनों / कमजोरों को बुला कर जगह दी हो। वर्ण व्यवस्था की चक्की में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनैतिक और मानसिक रूप से सदियों से पिस रहे बहुजन की भलाई के कार्य में यह एक आधार स्तंभ था। इसके लिए देश हमेशा के लिए उनका ऋृणी रहेगा।

आरक्षण का आदेश

26 जुलाई 1902 को शाहूजी महाराज लंदन में थे। इस दिन कोल्हापुर नरेश छत्रपति शाहूजी महाराज ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए शासनादेश के जरिए राज्य की समस्त शासकीय सेवाओं में बहुजनों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए। यहीं से वह शुरुआत होती है जिस पर आधुनिक भारत की नीव पड़ी और जो आगामी शताब्दी की राजनीति का आधार बनी। जैसा कि चलन था उस समय वहां की

नौकरशाही में शत प्रतिशत पदों पर ब्राह्मण समाज के लोगों का ही कब्जा था। कारण प्राचीन सनातन व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में ही निहित थे। इस व्यवस्था के अनुसार समाज में चार वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अपने वर्ण के अनुसार इन सभी का कार्य निर्धारित किया गया था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण सबसे ऊंचे पायदान पर आसीन थे। पठन पाठन, यज्ञ पुरोहित का कार्य करना और करवाना इनका कार्य निर्धारित किया गया था।

सनातन व्यवस्था

क्रम सं.	वर्ण	कार्य	संख्या
1.	ब्राह्मण	पढ़ना, पढ़ाना और पुरोहित का कार्य करना	5 प्रतिशत
2.	क्षत्रिय	पढ़ना और शस्त्र धारण करना	5 प्रतिशत
3.	वैश्य	पढ़ना और व्यापार करना	5 प्रतिशत
4.	शूद्र	उक्त तीनों की सेवा करना	85 प्रतिशत

परंपरागत रूप से यह संवर्ग ही राजा का सलाहकार भी होता था। क्षत्रिय दूसरे पायदान पर आते हैं। इस वर्ण का कार्य था पढ़ना, शस्त्र धारण करना, शस्त्र विद्या सीखना और देश की रक्षा करना यह शस्त्रोपजीवी वर्ग था। तीसरे नंबर पर वैश्य संवर्ग था जिसका कार्य था पढ़ना और वाणिज्य व्यापार करना। इसके बाद जो चौथा वर्ण हुआ करता था उसे शूद्र कहा जाता था उसका कार्य था ऊपर के तीन वर्णों

की सेवा करना। उसे कानूनन पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यही कानून हिंदू सभ्यता की पहिचान आज भी है।

वर्ण व्यवस्था की स्थापना और रक्षा ही हिन्दू राजाओं का कर्तव्य

इस वर्ण व्यवस्था की स्थापना और रक्षा ही हिंदू राजाओं का पहला कर्तव्य हुआ करता था। यही कारण है कि आज भी देश की संपत्ति के 90 प्रतिशत भाग पर इन्हीं तीन वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का अधिकार है। शेष जो बचे हैं शूद्र समाज इनके पास देश की संपत्ति का मात्र 10 प्रतिशत है जबकि इनकी संख्या कुल जनसंख्या का 85 प्रतिशत है। यही नहीं इनके एक हिस्से को कानूनन इतना पतित बना दिया गया था कि उसका छू जाना भी अपराध माना गया था। ऐसे में जब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो क्या स्थिति रही होगी ओबीसी और **SC** समाज की, कल्पना की जा सकती है। समस्त शूद्र समाज हिन्दुओं अर्थात ब्राह्मणों का गुलाम था। राजकीय सेवाओं में इन कमजोर वर्गों अर्थात शूद्र समाज को आरक्षण इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ही बनाया गया था। और इस आरक्षण व्यवस्था के जनक थे शाहूजी महाराज।

जो सबल हैं सशक्त हैं उन्हें सहायता की क्या आवश्यकता है? वह छीन कर ले ही लेंगे? यह तो लूटमार की व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक लूटमार की व्यवस्था है। जो कमजोर हैं उन्हें भोजन नहीं, अधिकार! जीने का अधिकार अर्थात शिक्षा, राजकीय सेवा का अधिकार दिलाकर शाहूजी महाराज ने जो उपकार किया है, देश और मानवता हमेशा उनकी ऋणी रहेगी।

2. बाबा साहब के राजनैतिक गुरु

कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के कुर्मी राजा शाहूजी महाराज शिक्षा के प्रति इतने समर्पित थे कि प्रतिभावान छात्रों को खोज खोज कर वजीफा दिया करते थे। प्रतिभाओं की खोज के अपने इस कार्यक्रम में बहुत विलंब से वर्ष 1920 के आस पास उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि कोई महार छात्र विदेश से पीएच डी करके आया है। बस फिर क्या था, वह चल दिए उस छात्र की खोज में और पहुंच गए मुंबई की चाल में अंबेडकर जी के द्वार पर।

दो महाशक्तियों का अद्‍भुत मिलन

बाबा साहब ने सुना तो भागते हुए आए और गिर पड़े महाराज के चरणों में बोले आपने क्यों कष्ट किया महाराज आदेश भेजते मैं आता आपके पास। आपके पास मैं नहीं आ सका ,मेरे अपराध को क्षमा करें महाराज। बहुत स्वागत है आपका। आपके आने से मेरी खोली पवित्र हो गई। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। आज तक मुझे बड़े लोगो से केवल नफरत ही मिली, और आप इतने बड़े महाराजा मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आ गए। क्षमा करें महाराज मैं आपके महल में नहीं आ सका। मुझे इसका दुख और शर्मिंदगी है। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपका स्वागत कर सकूं। महाराज ने उन्हें गले से लगाया और बोले मुझे गर्व है अम्बेडकर तुम्हारी विद्वता और विश्वास है तुम्हारी क्षमता पर। बड़े ही प्रेम से महाराज जी को चाय पिलाई और अपनी

क्षमता के हिसाब से सम्मान किया। यह दो महापुरुषों का मिलन था। यहीं से शुरुआत होती है भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम युग की जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल कर एक नए युग की शुरुआत की। इस घटना के बाद से जब तक शाहूजी महाराज जीवित रहे तब तक बाबा साहब को शिक्षा या राजनीति में कभी धन या संसाधनों की कमी नहीं पड़ी। बाबा साहब के अध्ययन काल से ही ऐसे कई कार्यक्रम शाहूजी महाराज के द्वारा आयोजित कराए गए जिससे दलित राजनीति की शुरुआत हुई। इनमइनमें तीन ऐसे कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है।

क. खामगांव परिषद

ख. माणगांव परिषद

ग. नागपुर परिषडी और

घ. दिल्ली में युवराज के समक्ष अछूतों की स्थिति का बयान

3.हर गांव देहात में पाठशाला की स्थापना

शाहू जी महाराज का दूसरा सबसे क्रांतिकारी आदेश था राज्य के सभी गांवों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना। कोल्हापुर राज्य की सत्ता संभालते समय वहां की साक्षरता मात्र 1.62 प्रतिशत थी। अर्थात वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी। ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था। पैसा बहुत था मंदिरों में परंतु वह शिक्षा के लिए नहीं था। अतः वर्ष 1913 में उन्होंने हर एक गांव में स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया और

इस कार्य के लिए रु 1.00 लाख अनुदान के रूप में स्वीकृत किए। अब समस्या यह थी कि विद्यालय खोलने के लिए स्थान और भवन चाहिए था। इसमें बहुत पैसा लगता अतः महाराज के क्रांतिकारी दिमाग ने एक तरकीब निकाली उन्होंने देखा कि मंदिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा परंतु है हर एक गांव में। अतः उन्होंने एक आदेश कर मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया और उसी में विद्यालय खोल दिया। दूसरी समस्या आई शिक्षक कहां से लाए जाय।

इस पर भी उन्होंने मंथन किया और आदेश किया कि जो भी कर्मचारी 25 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें शिक्षण कार्य में लगाया जाय। विद्यालय चल निकले परंतु वहां पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे। इसके लिए उन्होंने छात्रवृत्ति की योजना बनाई और आदेश किया कि स्कूल आने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाय। मतलब शिक्षा के मार्ग में समस्याएं आती गई और वह समाधान निकालते गए। परंतु समस्याएं अनगिनत थीं। उस समय के ज्ञान में केवल पुरातन समय की घिसी पिटी कहानियां ही थीं उनमें जहां एक ओर विज्ञान , गणित आदि बहुत ही आदिम अवस्था में थे और दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था की भट्ठी में से तप कर निकले हुए लोग थे जो यह समझते थे कि महाराज का यह कार्य किसी काम का नहीं है वह इन जानवरों को पढ़ा लिखा कर पता नहीं कौन सा काम करना चाहते हैं। वह बेमन से शिक्षण कार्य करते थे और साथ ही गैर ब्राह्मणों से ऐसा व्यवहार करते थे कि पहले तो इस सारी कवायद का लाभ केवल ब्राह्मण समाज को ही मिले। किसी तरह से

शूद्र समाज के बच्चे यदि आने भी लगे तो जल्दी से जल्दी उन्हे पढ़ाई के नाम पर मार पीट कर भगा दिया जाय या वह स्वयं भाग जाय।

4.अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा

देश में अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा से सम्बंधित कानून वर्ष 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया अर्थात इसे लागू हुए अभी मात्र 20-22 वर्ष ही हुए है।

उसमें भी यह नियम है कि आठवीं तक किसी को फेल न किया जाय मतलब न किसी को पढ़ने की जरूरत न किसी को पढ़ाने की सभी पास या सभी फेल?

उस समय ऐसा नहीं था। हर गांव में विद्यालय खोलने के आदेश के बाद शाहूजी महाराज के सामने यह समस्या आई कि विद्यालयों में छात्र नहीं आ रहे हैं। शूद्र समाज के परिवार आर्थिक रूप से अत्यंत विपन्न अवस्था में थे वह अपने बच्चो को भी अपने काम में लगाए रहते थे। बच्चों को स्कूल भेजने पर उनका नुकसान होता था। साथ में ब्राह्मण समाज बरगलाने के लिए हर समय बैठा था कि पढ़ लिख कर होगा क्या ? करना तो खेती ही है।

ऐसी दशा में शाहूजी महाराज ने नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की योजना बनाई।

उस समय शिक्षा व्यवस्था आदिम अवस्था में थी जिसमें शिक्षक को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी वह भूमि उसी

के पास रहती थी। इसे वतनी व्यवस्था कहते थे। चूंकि वर्ण व्यवस्था में शिक्षण कार्य ब्राह्मणों को दिया गया था अतः चाहे वह जैसा भी शिक्षक होअन्य सेवाओं की भांति शिक्षक का पद भी वंशानुगत हुआ करता था। शाहूजी महाराज ने इसे बंद कर दिया और शिक्षकों को राजकोष से वेतन देना प्रारंभ कर दिया। इससे शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ। समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए कई प्रयोग किए। उन्होंने यह आदेश किया कि प्रत्येक विद्यालय में शूद्र समाज के 15 बच्चों की फीस माफ की जाएगी। परंतु शूद्र समाज के सामने समस्या यह थी कि वह कमाई करें या पढ़ाई। यहां हमें माननीय लालू प्रसाद यादव की चरवाहा विद्यालय की संकल्पना याद आती है। कि समाज के बच्चे चारागाह में अपने जानवर छोड़ और पढ़ाई करें ,छुट्टी होने पर अपने जानवरों को लेकर घर जाय।

5.छात्रावास व्यवस्था के जनक

वर्ण ब्यवस्था के अनुसार शिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए ही विहित थी स यही कारण है कि तत्समय केवल ब्राह्मण ही शिक्षित थे। साफ़ साफ़ यह कहने में कोई आपात्ति नहीं है, वर्ण व्यवस्था भी यही कहती है और यह हमारे सारे धर्मग्रंथों में एक बार नहीं कई बार लिखा है स उस समय और आज भी किसी भी समाज का शिक्षा का स्तर ब्राह्मणों के बराबर नहीं है स उस समय भी ब्राह्मणों में शिक्षा का स्तर 90 प्रतिशत से अधिक था जबकि मराठों में यह स्तर मात्र 4 प्रतिशत था स मराठे अस्पृश्य नहीं थे तब उनकी यह स्थिति थी अछूतों की क्या

स्थिति रही होगी इसकी कल्पना की जा सकती है स यह तो स्वयं विचारणीय और कल्पनीय है कि जिस समाज की परछाई भी अपवित्र कर देती हो वहाँ शिक्षा का स्तर क्या होगा ? जिसके हाथ का छुआ हुआ निषिद्ध हो उसे कौन पढ़ने देगा ? और पढ़ाएगा कौन ?

शाहूजी महाराज ने इसी समस्या के समाधान के लिए छात्रावास प्रणाली प्रारम्भ की स वह भली भाँति जानते थे कि जब समाज में विभेद इतने गहरे हैं तो छात्रावास ही इसका उपाय हो सकता है स इस पर कार्य करते हुए उन्होंने विशेष रूप से अछूत छात्रों के लिए छात्रावास खुलवाए इनमे से प्रमुख छात्रावासों का विवरण निम्नवत है

1. कोल्हापुर में राजकीय छात्रावास, वर्ष 1896
2. मराठा छात्रावास, वर्ष 1901
3. जैन छात्रावास, वर्ष 1901
4. मुस्लिम छात्रावास, वर्ष 1906
5. लिंगायत छात्रावास, वर्ष 1907
6. मिस क्लार्क छात्रावास 1908, (विशेष रूप से अस्पृश्य छात्रों के लिए)
7. दैवज्ञ शिक्षा समाज हॉस्टल, 24 दिसंबर 1908
8. नामदेव छात्रावास, 02 अप्रैल 1911
9. पांचाल ब्राह्मण छात्रावास, वर्ष 1912
10. सबनीस प्रभु छात्रावास, वर्ष 1912
11. सावित्रीबाई गौड़ छात्रावास, वर्ष 1915

12. इंडियन क्रिश्चियन छात्रावास, 1915
13. आर्य समाज छात्रावास, वर्ष 1918
14. वैश्य समाज छात्रावास, वर्ष 1918
15. ढोर चमार छात्रावास, वर्ष 1919
16. वैदिक छात्रावास, वर्ष 1919
17. सरदार छात्रावास, वर्ष 1920
18. आर्य क्षत्रिय छात्रावास, वर्ष 1920
19. प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री हॉस्टल, वर्ष 1920
20. देवांग कोष्ठी (बुनकर) छात्रावास, वर्ष 1921
21. सुतार छात्रावास, वर्ष 1921
22. नाभिक छात्रावास (शिव कंठी शेष समाज के लिए), वर्ष 1921
23. बोहारी समाज छात्रावास, वर्ष 1921

अस्पृश्य समाज के लिए उन्होंने इनसे पृथक छात्रावासों की स्थापना कराई इनका विवरण निम्नवत है–

1. आर्य समाज गुरुकुल वूड हाउस छात्रावास, वर्ष 1911
2. अस्पृश्य छात्रावास पंढरपुर, वर्ष 1920
3. सोमवंशी डिप्रेस्ट क्लास बोर्डिंग हाउस नासिक, वर्ष 1920 और
फ़ चोखमेला बोर्डिंग हाउस
5. सोनतली कैम्प छात्रावास
6. रुकडी कैम्प छात्रावास

अस्पृश्य छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने राजाराम हाई

स्कूल और राजाराम विद्यालय दोनो में ही नि:शुल्क शिक्षा और नि: शुल्क प्रवेश का आदेश किया। (हुज़ूर, ठराव नम्बर 662 तारीख़ 24. 09.1911) के अनुसार इन स्कूलों में उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाना था। ग़ौरतलब है एक ऐसा राजा जो इतना परोपकारी था परंतु वह हमारी ब्यवस्था को रास नहीं आया। कारण वर्ण की घृणित व्यवस्था जो शुद्ध रूप से लूट मार पर आधारित है का अनियंत्रित रूप से दिलो दिमाग पर हावी होना।

आज भी शाहू जी महाराज के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल हमें आज भी पूरे महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। हमे वहां गली मोहल्लों में विद्यालय और छात्रावास मिल जाते हैं। इस तरह शाहूजी महाराज देश में आधुनिक छात्रावास व्यवस्था के जनक माने जाते हैं।

6. अस्पृश्यों की हाजिरी प्रथा की समाप्ति: गुलामी से आजादी की ओर

देश में मध्य काल में प्रचलित क्रूरतम और अमानवीय कानूनों में शामिल यह कानून एक ऐसी व्यवस्था थी। इसके तहत उसे जन्मजात अपराधी मान कर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे अपराधो का सामाजिक दंड झेलने के लिए अभिशप्त कर दिया गया था जो उसने किया ही नहीं था और न ही कहीं से भी उसके लिए वह जिम्मेदार ही था। उसके पुरखों के द्वारा किए गए अपराधों जो कि निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था की जकड़न के चलते बिना किए ही सिद्ध हो गए रहे होंगे के लिए विहित

दंड को सहन करने के लिए वह सदियों से मजबूर था। यह दास प्रथा थी जो खुले आम लागू थी देश में दूसरे शब्दों में वह ब्राह्मणों का सामाजिक और सांस्कृतिक और प्रशासनिक बंधुआ मजदूर था। इस व्यवस्था के तहत कतिपय जातियों महार, मांग ,रामोशी और बेरड़ आदि शामिल थीं, को बिना कोई अपराध किए ही अपराधी मान लिया गया था। निश्चित रूप से इसमें शामिल जातियां आज की तारीख में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति में शामिल हैं। इन समाजो के सदस्यों को आनुवंशिक अपराधी मान कर इन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत इनको स्थानीय शासन (तत्समय राजा रजवाड़ा या स्थानीय पुलिस थाना या पुलिस पाटिल) पर प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी। अर्थात सही मायने में वह गुलाम थे, दास थे। यह उस क्षेत्र विशेष को छोड़ नहीं सकते थे। यह हाजिरी या दास यह गुलाम प्रथा थी आगे चलकर इन कानून ने और जोर पकड़ा और यह एक बिहार व्यवस्था में तब्दील हो गई।

अर्थात बिना कोई मजदूरी दिए काम करवाने का अधिकार। शाहूजी महाराज को जैसे ही इस प्रथा की जानकारी हुई ,उन्होंने तत्काल ही इसका अध्ययन कर इसे समाप्त करने का आदेश कर दिया। दिनांक 01 अगस्त 1918 को उन्होंने आदेश निर्गत कर इस प्रथा को समाप्त कर दिया। इस कानून के आ जाने से महार जाति की परंपरागत चौकीदारी और केवल चौकीदारी ही नहीं वरन सदियों की गुलामी समाप्त हुई।

7. परीक्षा प्रणाली से तलाठी (पटवारी) की नियुक्ति : मध्यकाल से आधुनिकता की ओर

मराठी में उस समय कहावत थी "कुलकर्णी तिड़ा आणि गावाला पिड़ा" अर्थात कुलकर्णी एक पीड़ा देने वाला प्राणी था।

उस समय महाराष्ट्र की गांव प्रशासनिक व्यवस्था में दो अधिकारी हुआ करते थे कुलकर्णी और पटेल। कहने के लिए पटेल मुखिया होता था और कुलकर्णी उसका सचिव परंतु व्यवस्था के अनुसार पटेल पिछड़े समाज से थे और शिवाजी महाराज के समय से वह ताकतवर हो गए थे अत: वह मुखिया तो थे परंतु वह पढ़े लिखे नहीं थे। उनका सचिव कुलकर्णी जो भूमि और राजस्व का हिसाब रखता था वह पढ़ा लिखा होता था। यह कुलकर्णी भी वंशानुगत था। इस कारण यह निरंकुश हो गए थे चूंकि सारी जिम्मेदारी मुखिया पटेल की होती थी अत: वह एक उत्पीड़क अधिकारी के रूप में स्थापित हो गए थे। शाहूजी महाराज को यह जानकारी ही तो उन्होंने एक ही झटके में कुलकर्णी का पद समाप्त कर दिया और परीक्षा के माध्यम से ग्राम अधिकारी "तलाठी" की नियुक्ति की परिपाटी प्रारंभ की।

उस समय जबकि सभी पद वंशानुगत हुआ करते थे। शिक्षक और तलाठी के पद को परीक्षा प्रणाली से भर्ती करने का आदेश शाहूजी महाराज के क्रांतिकारी दिमाग की उपज था जो आगे चलकर आधुनिकता का आधार बना। यहां आज की तारीख में यह कह देना

उचित समझता हूं कि भारत सरकार ने परीक्षा वरीक्षा छोड़कर सीधे अपने लोगों में से आई ए एस अफसर बनाना शुरू दिया है। पैरेलल एंट्री से। मतलब वर्ण व्यवस्था दोबारा लागू? शूद्र समाज के बच्चे पढ़ते रहें और मेहनत मजदूरी करते रहें। शासन तो हमीं करेंगे।

8. समाज सुधार :
अस्पृश्यता पर कानून बनाकर रोक

अस्पृश्यता मानव समाज पर कलंक है और आज भी गांव में यह जीवित है। शाहूजी महाराज ने अछूतों और अस्पृश्यों में भगवान नहीं देखा और खाना नहीं खिलाया उनके पैर नहीं धोए। कानून बनाकर आदेश कर दिया। 22अगस्त 1918 को कानून बनाकर अस्पृश्यता समाप्त कर दी। इसके लिए उन्होंने अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग आदेश किए जैसे सार्वजनिक स्थलों के लिए अलग आदेश, चिकित्सालयों के लिए अलग आदेश, शिक्षण संस्थानों के लिए अलग। यह आदेश किया गया कि कोई भी यदि अस्पृश्यता का व्यवहार करता हुआ पाया जाएगा तो उसे राजकीय सेवा से बाहर कर दिया जाएगा और ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को पेंशन भी न दी जाए और जो संस्थान अस्पृश्यता मनाए हों उनकी राजसहायता बंद कर दी जाय। यही नहीं उन्होंने कमजोर समाज से वकील अभियंता अधिकारी और डाक्टर बनाए। उन्होंने जिन होनहार विद्यार्थियों को वकील बनाया वह थे गणचार्य मातंग,रामू करंडे चमार ,मंडपालकर

महार ,डी सी पवार चमार इन लोगों को डिग्रियां देने पर पूरा पुरोहित समाज उतर आया विरोध पर परंतु महाराज ने एक एक कर सबको उत्तर दिया। उन्होंने डाक्टर बनाने के लिए कई विद्यार्थियों को भेजा उसमें प्रमुख नाम थे।

- ख़ावड़े
- कार्वेकर
- चोपड़े और
- डॉ रमाकांत

अस्पृश्यों को सामाजिक बहिष्कार से मुक्ति मिले इसलिए केशव पटेल (मराठा) से मिश्र महाजन गृह खुलवाया और गंगा राम कांबले से सत्यशोधक होटल खुलवाया। अछूतों की बस्ती अलग होती थी। उन्होंने अच्युतों को सवर्ण बस्ती में घर दिलाया। कुत्तेवान दशरथ साकटे (मातंग) और विनोला करंडे को शाहूपुरी में घर दिलाया।

9. उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत

उस समय राज्य में शिक्षा की व्यवस्था मात्र एक शिक्षा अधिकारी के हवाले थी। शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से राज्य में शिक्षा अधिकारी के पद को उच्चीकृत कर प्रमुख शिक्षाधिकारी बनाया गया और तीन सहायक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

देश के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च अध्यन के लिए बड़े संस्थानों में भेजे जाने की योजना शाहूजी महाराज के द्वारा चलाई गई थी। आधुनिक काल में ऐसा पहली बार हो रहा था कि शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को बाहर भेजने का व्यय किसी राजा ने बहन किया हो। इस योजना के तहत वर्ष 1910 – 11 में 15 छात्रों को पूना, मुंबई आदि विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए भेजा गया। इसमें महिला विद्यार्थी भी शामिल थीं। इसी क्रम में महाराज के द्वारा बहुत सी संस्थाओं को अनुदान भी दिया गया। इनमे से प्रमुख संस्थाएं और उनको दी गई सहायता का विवरण निम्नवत है।

1. मराठा छत्रपति हॉस्टल पुणे को इस 300.00 का दान और पांच वर्ष तक प्रति वर्ष रु . 1000.00 का दान।
2. डेक्कन एजुकेशन सोसायटी को 5000.00 का दान।
3. छत्रपति ताराबाई मराठा छात्रावास को वर्ष 1892 में [illegible]का दान।
4. डेक्कन एजुकेशन सोसायटी को प्रतिमाह 450.00 का दान।
5. उदाजी मराठा विद्या हॉस्टल नासिक को रु .19200.0 का दान 21 सितंबर 1920, इसी संस्था को पुनः 13 फरवरी 1920 और 15 फरवरी को रु . 10,000.00 का दान।
6. डिप्रेस्ड क्लास हॉस्टल को रु. 5000.00का दान।
7. पंढरपुर में अस्पृश्य हॉस्टल को प्रतिमाह रु 1350.00का दान।

10. जन्म एवं बचपन

शाहूजी महाराज का बचपन का नाम यशवंतराव था। कोल्हापुर के राज महल में 26 जून 1874 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता आबा साहब घाटगे राजपरिवार से जुड़े थे और उस समय कागल रियासत के जागीरदार थे। यशवंत राव की माता क नाम राधाबाई था। जब वह मात्र तीन वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। फलत: उनके पालन पोषण के लिए पिता ने दूसरा विवाह किया। यशवंत राव की मां के इतनी कम अवस्था में छोड़ कर चले जाने से उनके पिता आबा साहब जय सिंह राव घाटगे अत्यंत अवसाद में रहने लगे थे और इसी अवसाद के चलते वह अति मदिरापान के ब्यसनी हो गए थे। कोल्हापुर राजपरिवार के तत्कालीन वैध शासक शिवाजी चतुर्थ की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी ।अत: महारानी आनंदी बाई ने राजपरिवार के आबा साहब घाटगे के पुत्र यशवंतराव को गोद लेने का निर्णय लिया। इस निर्णय की मंजूरी ब्रिटिश सरकार से प्राप्त हो गई। कोल्हापुर के राज प्रांगण में 17 मार्च 1884 को विधिवत दत्तक विधान पूर्ण हुआ और यशवंतराव राज्य के शासक बने। दत्तक विधान के समय ही महारानी आनंदीबाई ने उनका नाम शाहूजी छत्रपति रखा। उस समय शाहूजी महाराज की उम्र मात्र 10 साल ही थी। इसके दो वर्ष के बाद ही दिनांक 20 मार्च 1886 को उनके पिता की मृत्यु हो गई। शाहूजी की माता राधाबाई का देहांत पहले ही हो चुका था जब वह मात्र तीन साल के थे ,और अब मात्र बारह वर्ष

की उम्र में पिता का छत्र भी ऊपर से उठ गया। अब शाहूजी छत्रपति तो थे परंतु माता पिता का वात्सल्य छत्र ऊपर से उठ चुका था। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में शाहूजी महाराज ने राजकोट महाविद्यालय की शिक्षा पूर्ण की। दिनांक 2अप्रैल 1894 को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि लॉर्ड हैरिस ने शासन सूत्र शाहूजी महाराज के हाथों में हस्तगत कर दिया।

11. उच्च पदों पर पिछड़ों की नियुक्ति

कितनी वेदना थी और कितना दर्द था उस महाराजा के दिल में अपने देश के लिए। देश अर्थात दमितों शोषितों कमजोरों पिछड़ों और महिलाओं के लिए।

भोजन नहीं शिक्षा का दान

उन्होंने आज से 100 साल पहले समझ लिया था कि भोजन करा देने से किसी देश या समाज का कल्याण नहीं होता। उनका कल्याण होता है वाजिब अधिकार देने से। तभी उन्होंने अस्पृश्यता प्रतिबन्धक कानून बनाया और राज्य के सारे हिस्सों में सार्वजनिक स्थानों पर अस्पृश्यता प्रतिबंधित की। मात्र इतना ही नहीं वह पिछड़ों ,दलितों ,दमितों ,शोषितों को खोज खोज कर उच्च पदों पर बैठाते थे कि उनका समाज उन्हें देख कर सबक ले कि वह भी ब्राह्मणों की तरह श्रेष्ठ हैं। वह भी बड़े पद धारण कर सकते हैं।

इस कार्य को और व्यवस्थित ढंग से करने के लिए उन्होंने वर्ष

1894 में डेक्कन एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की। इस सोसायटी के माध्यम से समाज में पढ़े लिखों की खोज की जाती थी और मेधावी छात्रों को आगे पढ़ने और उनमें से योग्य लोगों को राजकीय पद दिए जाते थे। इसी में श्री भास्कर राव जाधव जो मराठा समाज से थे और उन्होंने उस समय बी ए किया हुआ था को कोल्हापुर सरकार में उप मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। राज्य के हुजूर सेक्रेटरी का पद ब्यकोजी (ब्यांकोजी)सबनीस को दिया गया। बहुजन समाज के दाजीराव विचारे को राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया। इसी तरह राधाबाई कृष्णराव केलकर की नियुक्ति प्रमुख शिक्षाधिकारी के पद पर की गई। डी सी पवार को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया।

इन नियुक्तियों से राज्य के अधिकारी नाराज होने लगे और पत्र के माध्यम से विष वमन करने लगे इससे भी काम नहीं बना तो त्यागपत्र देने लगे। राधाबाई कृष्णराव केलकर की नियुक्ति इसी तरह खाली हुए पद के सापेक्ष की गई थी।

12. तिलक से संघर्ष

यह हमारे समाज की विडंबना है कि बाल गंगाधर तिलक जो कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में माने जाते हैं ने शाहूजी महाराज के कार्यों का प्रबल विरोध किया और अपने पत्र केसरी के माध्यम से एक बार नहीं हमेशा अपशब्द ही कहते रहे। यह तथ्य अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। और सहसा इस पर विश्वास

नहीं होता। परंतु यह इतिहास की कड़वी सच्चाई है। बाल गंगाधर तिलक शाहूजी महाराज के समकालीन थे। केसरी के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का बीड़ा उठा रखा था।

वह केवल देश हित की बात करते थे। उन्हें देश के कमजोर वर्गों से कोई मतलब नहीं था। शाहू जी महाराज के द्वारा किए जा रहे शिक्षा और समाज कल्याण के कार्यों से कोई वास्ता न होना तो दूर की बात थी वह शाहूजी महाराज के कार्यों का विरोध करते थे। शाहूजी महाराज को खुलेआम राष्ट्रद्रोही, अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। और सामाजिक रूप से शूद्र कह कर अपमानित करते थे। वेदोक्त प्रकरण में अन्याय पूर्ण और गलत होते हुए भी उन्होंने पुरोहितों का ही साथ दिया था,और एक बार नहीं कई कई बार लिखा कि शाहूजी महाराज का कथन गलत है, और पुरोहित सही कहते हैं। शाहूजी महाराज को वेदोक्त अधिकार नहीं है वह शूद्र है।

तिलक और उनके अखबार केसरी को शाहूजी महाराज के स्कूलों और छात्रावासों से कोई मतलब नहीं था यहां तक कि उन्होंने शाहूजी महाराज के आरक्षण के आदेश का भी विरोध किया। आरक्षण के आदेश पर टिप्पणी करते हुए वह अपने अखबार में ऐसी टिप्पणियां करते रहते थे ''लगता है महाराजा को राज्य कार्य से कोई मतलब नहीं रह गया है'', ''इन निरक्षर और मजदूर लोगों को पढ़ा कर महाराजा पता नहीं कौन सा महान कार्य करना चाहते हैं'', ''जितना मोर नाचेगा उतना ही मोरनी नाचेगी'' आदि। केसरी पत्र हमेशा शाहूजी का

अपमान ही करता रहा और इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जब तक जीवित रहे शाहूजी महाराज का विरोध ही करते रहे।

13. तत्कालीन मीडिया का प्रबल विरोध

तत्कालीन मीडिया अर्थात उस समय के अखबार शाहूजी महाराज का प्रबल विरोध करते थे। महाराज के जन कल्याण कार्यों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। यही नहीं वह महाराज की बहुत ही शर्मनाक आलोचना करते थे। इन पत्रों में उन्हें हमारे स्वराजद्रोही छत्रपति, मनमाना जुल्म ढाने वाला, जबरदस्ती अमानवीय अत्याचार कर प्रजा को सताने वाला लोकद्रोही राजा, स्वराज की संकल्पना का विरोध करने वाला, आजादी की लड़ाई में अवरोध पैदा करने वाला, स्वराज की गुप्त खबर अंग्रेजों को देने वाला, स्वराज आंदोलन को दबाने वाला, अपने स्वार्थ के लिए ब्रिटिशों की जी हुजूरी करने वाला, राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाला, राष्ट्र के साथ बेइमानी करने वाला, स्वराजद्रोही छत्रपति जैसी उपाधियों से नवाजा जा रहा था।

बंबई के लोकमान्य पत्र ने 20 मई 1920 को लिखा ष शाहू राजा की हैसियत एक हेर अर्थात,

जासूस से अधिक की नहीं है और वह स्वराजद्रोही हैं ।ष्लोकसंग्रह ने लिखा "शाहूजी महाराज का हृदय उनकी चमड़ी की तरह काला है।" लोकशाही अखबार ने 23 मई 1921 के अंक में कहा महाराजा ने आजादी के संघर्ष को नष्ट करने का प्रयास करके महाराष्ट्र

को कलंक लगाया है, स्वराज्य आंदोलन का विरोध करने वाले शाहू महाराज को गद्दी त्याग देनी चाहिए। इंडियन सोशल रिफॉर्मर ने अपने 5जून 1921 के अंक में लिखा शाहू राजद्रोही हैं और उनका पूरा अधरू पतन हुआ है।

14. पुरोहितों ने भी विरोध किया

शाहूजी महाराज के जन कल्याणकारी कार्यों से पुरोहित वर्ग बहुत नाराज रहता था। कारण बहुत साफ था। उनके कार्य समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित और मजबूत बनाने के लिए हुआ करते थे। पुरोहितों का यह मानना था कि शिक्षा सबके लिए नहीं है और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से केवल ब्राह्मणों के लिए है। शाहू जी महाराज सभी को शिक्षा देकर भारतीय सनातन विधान को तोड़ रहे हैं शूद्रों को पढ़ा रहे हैं उन्हें नौकरियां दे रहे हैं। पुरोहितों ने उनका इतना विरोध किया कि राजा /शासक होने के बावजूद उन्हें वह अपने बराबर मानना तो दूर वह उन्हें शूद्र मानते थे।

मजे की बात यह थी कि उनके पुरोहित उन्हीं से वेतन पाते थे और उन्हें ही अपमानित भी करते थे।

पुरोहितों के उस समय के कानून के अनुसार वैदिक मंत्रों का उपयोग केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए ही विहित था। चूंकि वह ब्राह्मण / क्षत्रिय नहीं थे। शूद्र थे अतः उनके अनुष्ठानों में वैदिक मंत्रों

का उपयोग नहीं होगा। उनके अनुष्ठानों में अवैदिक मंत्रों का होता था। प्रकरण राजा अर्थात शासक का था। अत: मामला न्यायालय में गया वहां अंग्रेज न्यायाधीश थे। उन्होंने फैसला दिया शाहूजी महाराज जिस भी बिरादरी के हो वह शासक हैं राजा हैं अत: उनके अनुष्ठानों में वैदिक मंत्रों का उपयोग होना चाहिए।

पुरोहित और ब्राह्मण एक ही संवर्ग के थे। सारे समाचार पत्र उन्हीं के हाथों में थे। शाहूजी महाराज के कार्यों से वह उनके हर एक कदम का विरोध करते थे। हर गांव में शिक्षा के लिए विद्यालय खोलने की बात आई तो सभी पुरोहितों ने विरोध किया। परंतु उनके विरोध की परवाह न करते हुए सीधा आदेश किया और सारे मंदिरोंबका अधिग्रहण कर लिया और खुल गए विद्यालय हर एक गांव में !

15. सरनेम का उपहार

सदियों से दमित शोषित मानवता को अधिकार देकर बराबरी पर लाना और मात्र भोजन कराकर पुण्य कमा लेना अलग अलग बातें हैं। अस्पृश्यता का मतलब छू जाना अपराध। देश का एक वर्ग एक हिस्सा कानूनन इतना पतित बना दिया गया था कि उसका छू जाना भी अपराध था। अर्थात इसकी स्थिति कुत्ते बिल्ली से भी बदतर थी। पढ़ना पढ़ाना तो बहुत दूर ! किस बात की बराबरी या अधिकार ? जब हालात इतने खराब हों तो रास्ता भी अलग से बनाना ही पड़ता है।

शाहूजी महाराज ने अछूत माने जाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया

कि आप लोग सवर्णों की टाइटल लगाओ। गायकवाड़ शिंदे, मोरे, सूर्यवंशी, जाधव, वानखेड़े ,कदम, पवार, सावंत, लोखंडे, शिर्के, माने, शास्त्री, रायबहादुर, खान, पटेल , साहब आदि उपनाम लगाओ। जब उपनाम बराबर हो जाएंगे तो जाति के आधार पर पहचान खत्म हो जाएगी फिर अस्पृश्यता और अछूतपन का व्यवहार नहीं होगा।

इस बार विरोधियों को पता ही नहीं चला कि कब यह हो गया। चूंकि ब्रिटिश हुकूमत थी और इसमें मनुस्मृति के हिसाब से शासन नहीं होना था। अतः वह जान कर भी कुछ कर नहीं पाए और शाहूजी की योजना काम कर गई। इसी का परिणाम है कि अनुसूचित समाज में आज भी पंडित,गुरु, साठे,आचार्य,खांडेकर,भालेराव

टाइटल देखने को मिल जाते हैं। इसी का अनुसरण उत्तर भारत में भी हुआ और पिछड़े समाजों ने सवर्णों के उपनाम लगाने शुरू कर दिए। 19अप्रैल 1919 के कानपुर के सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों ने सिंह टाइटल लगाना शुरू कर दिया था।

16. विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून

शाहूजी महाराज बेटियों के लिए चिंतित रहते थे। बाल विवाह उस समय आम प्रथा थी यहां तक कि यदि वर वधु की उम्र यदि 11 वर्ष से अधिक हो जाय तो उसे घोड़वर या घोड़वधू कहते थे। कम उम्र में आकस्मिक मृत्यु से बालकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था परंतु बालिकाओं को जीवन भर विधवा की भांति अभिशप्त रहना होता था।

मुसलमान इस हिसाब से उन्नत हैं उनमें ऐसा नहीं है वहां विधवा विवाह की कोई समस्या नहीं है। मुसलमान ही नहीं और किसी भी समाज में इस तरह की प्रथा नहीं है।

1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित होने के बाद बची विधवाओं का क्या होगा इसका फैसला हो पाना शेष था। लार्ड विलियम बैंटिक वायसराय थे उन्होंने कानून बनाकर सती प्रथा समाप्त कर दी। परंतु आगे की कार्यवाही जो होनी थी वह शेष रह गई यदि लार्ड विलियम बैंटिक भारतीय होते तो वह दोनों काम कर जाते। शाहूजी महाराज ने इस विडंबना को देखा और अपने राज्य में विधवाओं का विवाह नहीं कराया वरन कानून बना दिया।

कोल्हापुर में जुलाई वर्ष 1917 में शाहू जी महाराज ने यह कानून बनाया कि विधवा विवाह वैध है और इससे उत्पन्न संतानों को संपूर्ण अधिकार होंगे इस तरह शाहूजी महाराज ने कानून बनाकर विधवाओं को जीवन जीने का अधिकार दिया।

17. वर्तमान परिदृश्य : बिना पढ़े सब पास

बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही साफ साफ यह जान लेना है समझ लेना है ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों का संपूर्ण सत्ता पर कब्जा ही हिन्दू राष्ट्र का एक मात्र उद्देश्य है। पहले भी था और आज भी है। अंग्रेजों के पहले यही कानून था।

पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था।

कानूनन।

जी हां कानून ही यही था

यही हमारी आई पी सी, सी आर पी सी थी। यही सब हमारे धर्मग्रंथों में लिखा हुआ था, और आज भी लिखा हुआ है। यही स्मृतियां और धर्मग्रंथ कानून हुआ करते थे। इनमे साफ साफ लिखा था और आज भी लिखा है कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। बहुत सुंदर शब्दों में शूद्रों को केवल सेवा का अधिकार है। सेवा का अधिकार! किसी को मार मार कर अधमरा कर दो तो बेचारा वह जान बचाने के लिए जो मालिक कहेंगे वही तो करेगा। वैसे कौन सेवा का कार्य करेगा ? फिर नियम बना दिया गया कि

पढ़ना पढ़ाना ज्ञान अर्जन और राजा को सलाह देना, ब्राह्मणों का काम

राज करना शास्त्र धारण कर लड़ाई करना, क्षत्रियों का काम

धूर्तता ठगी बेईमानी कर धन कमाना, वैश्यों का काम

बाकी जो बचे सब सेवा का काम करें।

यही वर्ण व्यवस्था है।

आज भी यही व्यवस्था लागू हो रही है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में कक्षा आठवीं तक सभी को पास कर देना। किसी को फेल न करना। पहले यह कानून था कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ाई नहीं करेंगे।यही नियम था वर्ण व्यवस्था का और अब चूंकि अंग्रेजों और हमारे महापुरुषों ने नया नियम बना दिया कि

सभी पढ़ाई करेंगे। किसी को सीधे पढ़ने से रोका गया तो विद्रोह हो सकता है। अतः बहुत ही शांति से प्रेम से यह आदेश किया गया कि बच्चों के ऊपर बहुत बोझ रहता है पढ़ाई का इसलिए किसी को फेल न किया जाय। सबको पास कर दिया जाय। इससे वर्ण व्यवस्था को लागू करने में बहुत सहायता मिलेगी। बच्चे और उनके माता पिता खुश कि अब फेल न होने से सभी बच्चे पास होकर आगे निकल जायेंगे। सभी योग्य हो जायेंगे बिना मेहनत के। परंतु वास्तविकता ? सभी फेल !